न्यायालय :–केशव मणि सिंहल, अपर सत्र न्यायाधीश,विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम) कमांक–7, इंदौर (म0प्र0)

::: नि र्ण य :::

(आज दिनांक 11.04.2023 को घोषित)

Registration No.443/2020
Filling No.27989/2020
CNR No. MP0901-032369-2020
Filing Date 09-11-2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर श्री विजेन्द्र सिंह रावत, के न्यायालय के दांडिक प्रकरण कमांक–1694 / 2020 (पुलिस थाना बाणगंगा जिला इंदौर म. प्र. के अपराध कमांक–415 / 2020 अंतर्गत धारा– 302 भा0दं0सं0) मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध दिनेश साहू में पारित उर्पापण आदेश दिनांक 04.11.2020 से उद्भूत सत्र प्रकरण।

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा थाना–बाणगंगा, जिला इंदौर ....**अभियोजन**

अभियोजन द्वारा :– ए.पी.पी. श्रीमती अविसारिका जैन

::::–विरूद्ध–::::

दिनेश साहू पिता बाबूलाल,
आयु–38 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी
निवासी–ग्राम विचपुरी थाना राहतगढ़ जिला सागर हाल 38 / 1 न्यू बजरंगपुरा 01 नम्बर गली इंदौर म.प्र.

.... **आरोपी**

अभियुक्त द्वारा :– श्री अखिलेश सक्सेना अभिभाषक

प्रारूप–ड

अपराध की तारीख	21.03.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	21.03.2020

अभियोग पत्र की तारीख	09.11.2020
आरोप के विरचना की तारीख	04.03.2021
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	15.03.2021
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	10.04.2023
निर्णय की तारीख	11.04.2023
दण्डादेश यदि कोई हो तो तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	दिनेश साहू पिता बाबूलाल	22.03.2020	गिरफ्तारी दिनांक से निरोध में है।	धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता।	दोषसिद्धि	कंडिका कमांक 49 के अनुसार आजीवन कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड	तीन वर्ष बीस दिवस

प्ररूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 01	दिनेश साहू	पंच साक्षी,
अ.सा. 02	देव साहू	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 03	अनुज साहू	चक्षुदर्शी साक्षी
अ.सा. 04	श्रीमती सुधारानी	पंच साक्षी
अ.सा. 05	आनंद साहू	पंच साक्षी
अ.सा. 06	कमल साहू	पंच साक्षी

अ.सा. 07	बैजनाथ	पंच साक्षी
अ.सा. 08	कैलाश साहू	पंच साक्षी
अ.सा. 09	सीताराम साहू	पंच साक्षी
अ.सा.10	सविता साहू	पंच साक्षी
अ.सा.11	संतोष साहू	पंच साक्षी
अ.सा.12	राजेश साहू	पंच साक्षी
अ.सा.13	गीता साहू	पंच साक्षी
अ.सा.14	लोकेश साहू	पंच साक्षी
अ.सा.15	पंकज कुमार तिवारी	पुलिस साक्षी
अ.सा.16	डॉ. विशाल सुरवाडे	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा.17	योगेश कुमार	पुलिस साक्षी
अ.सा.18	रविन्द्र सिंह भदौरिया	पुलिस साक्षी
अ.सा.19	पदम सिंह मकवाना	पुलिस साक्षी
अ.सा.20	एस. एल. भंवर	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
ब.सा. 1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
न्या.सा. 01	निरंक	निरंक

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण

01.	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 1	सफीनाफार्म
03.	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 1	लाश पंचायतनामा
04.	प्रदर्श पी. 4/अ.सा. 1	नक्शा मौका
05.	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 1	जब्ती पत्रक
06.	प्रदर्श पी. 6/अ.सा. 4	सुपुर्दगी पंचनामा
07.	प्रदर्श पी. 7/अ.सा. 4	शव प्राप्ति रसीद
08.	प्रदर्श पी. 7–ए/अ.सा. 6	पुलिस कथन
09.	प्रदर्श पी. 8/अ.सा. 7	पुलिस कथन
10.	प्रदर्श पी. 9/अ.सा. 8	गिरफ्तारी पत्रक
11.	प्रदर्श पी. 10/अ.सा. 8	जब्ती पत्रक
12.	प्रदर्श पी. 11/अ.सा. 8	जब्ती पत्रक
13.	प्रदर्श पी. 12/अ.सा. 8	पुलिस कथन
14.	प्रदर्श पी. 13/अ.सा. 9	पुलिस कथन
15.	प्रदर्श पी. 14/अ.सा. 10	पुलिस कथन
16.	प्रदर्श पी. 15/अ.सा. 11	पुलिस कथन
17.	प्रदर्श पी. 16/अ.सा. 12	पुलिस कथन
18.	प्रदर्श पी.17/अ.सा. 13	पुलिस कथन
19.	प्रदर्श पी.18/अ.सा. 15	जब्ती पत्रक
20.	प्रदर्श पी.19/अ.सा. 15	परीक्षण के संबंध में पत्र
21.	प्रदर्श पी.20/अ.सा. 15	प्रयोगशाला में जमा की रसीद
22.	प्रदर्श पी.21/अ.सा. 16	शव का परीक्षण हेतु आवेदन
23.	प्रदर्श पी.22/अ.सा. 16	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
24.	प्रदर्श पी.23/अ.सा. 16	क्योरी रिपोर्ट
25.	प्रदर्श पी.24/अ.सा. 18	जब्ती पत्रक
26.	प्रदर्श पी.25/अ.सा. 18	परीक्षण के संबंध में पत्र
27.	प्रदर्श पी.26/अ.सा. 18	परीक्षण के संबंध में पत्र
28	प्रदर्श पी.27/अ.सा. 18	प्रदर्शों को जमा रसीद
29.	प्रदर्श पी.28/अ.सा. 18	प्रदर्शों की जमा रसीद
30.	प्रदर्श पी.29/अ.सा. 18	प्रदर्शों का परीक्षण प्रतिवेदन

31.	प्रदर्श पी.30 / अ.सा. 18	प्रदर्शों का परीक्षण प्रतिवेदन
32.	प्रदर्श पी 31 / अ.सा.20	मर्ग सूचना
33.	प्रदर्श पी 32 / अ.सा.20	मर्ग सूचना

ख. प्रतिरक्षा प्रदर्शों की सूची

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श डी 1 / अ.सा.3	पुलिस कथन
02.	प्रदर्श डी 2 / अ.सा.14	पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्शों की सूचीः–

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	निरंक	

घ. **आवश्यक वस्तुयें**

सं.क्र.	भौतिक सामाग्री की संख्या	विवरण
01.	आर्टिकल ए–1	पेंट
02.	आर्टिकल ए–2	शर्ट
03.	आर्टिकल ए–3	जब्ती चीट
04.	आर्टिकल ए–4	फावडा

01. प्रकरण में अभियुक्त दिनेश साहू को धारा 302 भा.द.वि के अपराध के आरोप के लिये इस आधार पर आरोपित और विचारित किया गया है कि उसने दिनांक 21.03.2020 या उसके निकट, न्यू बजरंगपुरा 01 नम्बर गली, इंदौर में अपनी पत्नी मृतिका द्रोपदी की हत्या कारित करने के आशय से फाबडे से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की।

02. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतिका द्रोपदी अभियुक्त दिनेश साहु की पत्नी थी तथा साक्षी देव साहु का अभियुक्त दिनेश साहु का द्रोपदी से उत्पन्न पुत्र है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.

2020 को फरियादी दिनेश पिता तुलाराम साहू ने आरक्षी केन्द्र बाणगंगा इंदौर पर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह टाईल्स का काम करता है। उक्त दिनांक को वह दुकान पर था तभी उसके दोस्त अनुज ने फोन पर उसे सूचना दी कि, जीजा दिनेश साहू ने उसकी (दिनेश पिता तुलाराम साहू की) बहन को फाबड़े से सिर में मार दिया है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है तो उसने अपने भाई लोकेश को जीजा के घर भिजवाया और वह भी वहां पहुंचा जहां देखा कि उसकी दीदी द्रोपदी साहू अपने घर के सामने औंधी अवस्था में पड़ी थी, जिसके सिर में काफी चोट होकर खून निकला हुआ था, उसने वहां काम करने वाले मिस्त्री बैजनाथ एवं पड़ोसी सीताराम से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि मृतिका द्रोपदी को उसके पति ने प्लाट बेचने व बनवाने के विवाद पर उसके सिर में फाबडा मारकर मार डाला। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बाणगंगा के अपराध क्रमांक 415/2020 पर भादवि की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। घटना स्थल से फाबड़ा जप्त किया गया तथा खून आलूदा एवं सादा मिट्टी जप्त की गई। साक्षी दिनेश पिता तुलाराम साहू, बैजनाथ पिता सुखलाल विश्वकर्मा, कपिल पिता कैलाश साहू, सीताराम पिता घुमनलाल साहू, कैलाश पिता उधम सिंह साहू, श्रीमती कविता साहू पति कैलाश साहू के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा मकान की नोटरी पेश करने पर पंचनामा जब्ती बनाकर उक्त नोटरी जब्त की गई। आरोपी दिनेश साहू से घ टना के समय पहने हुए कपडे मृतिका के खून लगे होने से जब्त किये गये। चिकित्सक द्वारा पी.एम.रिपोर्ट में मृतिका की मृत्यु hemorrhage shock as a result of head injury दर्शाया गया। अस्पताल से प्राप्त मृतिका के विसरा आदि जप्त किये गये। जप्तशुदा प्रदार्शों को जांच हेतु भेजा गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र श्री विजेन्द्र सिंह रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर के न्यायालय में पेश किया गया। जहां से माननीय सत्र न्यायाधीश इंदौर को प्रकरण उपार्पित किया गया तथा अंततः प्रकरण अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

04. निर्णय के पैरा–1 में उल्लेखित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करने से इंकार किया। दं.प्र.सं. की धारा–313 के

तहत किये गये परीक्षण में अभियुक्त ने झूठा फंसाये जान का बचाव लिया है। अभियुक्त की ओर से अपने अभियुक्त परीक्षण में बचाव में यह कहा है कि उसकी पत्नी मायके वालों के साथ निवास करती थी और उसके घर वालों को पसंद नहीं करती थी, उसे उसके मकान से निकाल कर मकान मायके वालों को देना चाहती थी। जब वह मकान पर पहुंचा तो उसकी पत्नी वहां आ गई और उससे गाली गलौच करने लगी तथा उसे फाबड़ा उठाकर मारने लगी, उसने बचाव किया तो वह फाबड़े पर गिर गई तथा धक्का मुक्की में उसे चोट लगी। उसने कोई अपराध नहीं किया है उसने उसकी पत्नी को नहीं मारा है वह गिरने से मर गई थी, लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु यह प्रश्न विचारणीय है कि :–

1– क्या अभियुक्त ने दिनांक दिनांक 21.03.2020 या उसके निकट, न्यू बजरंगपुरा 01 नम्बर गली, इंदौर में मृतिका द्रोपदी की हत्या कारित करने के आशय से फावडे से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की?

::::: – सकारण निष्कर्ष – :::::

06. प्रकरण में अभियोजन की ओर से साक्षी असा.1 दिनेश साहू, देव साहू अ.सा.2, अनुज साहू अ.सा.3, श्रीमती सुधारानी अ.सा.4, आनंद साहू अ.सा.5, कमल साहू अ.सा.6, बैजनाथ अ.सा.7, कैलाश साहू अ.सा.8, सीताराम साहू अ.सा.9, सविता साहू अ.सा.10, संतोष साहू अ.सा.11, राजेश साहू अ.सा. 12, गीता साहू अ.सा.13, लोकेश साहू अ.सा.14, पंकज साहू अ.सा.15, डॉ. विशाल सुरवाडे अ.सा.16, योगेश कुमार अ.सा.17, रविन्द्र सिंह भदौरिया अ.सा. 18, पदम सिंह मकवाना अ.सा.19, एस.एल. भंवर अ.सा.20 के कथन कराये गये है। प्रकरण में साक्ष्य के दौरान साक्षी सुधारानी क्रमांक 04 के कथन में शव प्राप्ति रसीद पर प्रपी–7 अंकित हुआ है उसके उपरांत साक्षी कमल साहू अ.सा. 6 के कथन में त्रुटिवस उसके पुलिस कथन पर भी प्रपी–7 अंकित हो गया है किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे इस कारण साक्षी कमल साहू अ.सा. 6 के पुलिस कथन पर प्रपी–7 के स्थान पर प्रपी– 7ए अंकित किया गया है। तदानुसार निर्णय में उसका उल्लेखि किया जावेगा।

07. अभियोजन साक्षी देव साहू अ.सा.02 जो कि आरोपी का ही पुत्र है, ने अपने न्यायालयीन कथनो में बताया है कि आरोपी उसके पिताजी है। मृतिका द्रोपदी बाई उसकी मॉ थी। घटना दिनांक 21.03.2020 की करीब 10.30 बजे की है। वह रामनगर में अपनी नानी के घर पर था वहां से वह अपनी मम्मी के साथ न्यू बजरंग नगर में आया था, पापा का मकान बन रहा था जिसे पापा बेचने वाले थे, तभी उसके पापा ने एक फावड़ा उसकी मम्मी के सर पर मारा जिससे उसकी मम्मी गिर गई इसके बाद उसके पापा ने उसकी मम्मी को एक दो फावड़े और मारे फिर उससे उसकी मॉ की मृत्यु हो गई और उसके पापा वहां से भाग गये, वहां पर अनुज भैया और काम करने वाले मिस्त्री थे।

08. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह घ टना के समय गेट के सामने था और मम्मी उससे थोड़ा ही आगे थी। मकान पर मिस्त्री काम कर रहे थे उसकी मम्मी ने मिस्त्री को काम करने के लिये मना किया तभी पापा ने फावड़ा उठाकर मेरी मम्मी को मार दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी के द्वारा ही अपनी मॉ द्रोपदी बाई की फावडे से चोट पहुंचाकर हत्या कारित किये जाने बाबत स्पष्ट कथन किया है।

09. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि वह अभी रामनगर में निवास कर रहा है वह अपनी नानी के साथ रह रहा है, उसकी नानी उसके साथ में आई है, उसके मामा दिनेश तथा अनुज भैया भी आये हैं। बयान देने के लिये उसे कोर्ट से समन गया था, नोटिस कल उसके दिनेश मामा को रात को मिला था, दिनेश मामा ने उसे बताया कि सुबह कोर्ट जाना है, उसे उसके दिनेश मामा ने यह बताया था कि जो भी सच है, बता देना। नानी ने भी उसे ऐसा नहीं बताया कि कोर्ट में क्या बयान देना है। इस प्रकार इस साक्षी ने सिखा पढा कर बयान दिये जाने बाबत रखे गये सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है। इस साक्षी के द्वारा दिये गये कथनो से भी यह दर्शित नहीं होता है कि इस साक्षी के द्वारा किसी के कहने से न्यायालय में असत्य कथन किया जा रहा है।

10. अभियोजन साक्षी अनूज साहू अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन

कथन में घटना की पुष्टि करते हुए यह बताया है कि वह आरोपी को और मृतिका द्रोपदीबाई को पहचानता है। घटना लॉकडाउन के कर्फ्यू लगने के एक दिन पहले की करीब 10 से 11 बजे के बीच की है। वह चौराहे पर खड़ा हुआ था, लड़ाई हो रही थी तो उसने वहां जाकर देखा कि आरोपी अपनी पत्नी को फाबड़े से मार रहा था, आरोपी ने मृतिका के सिर के पीछे फावड़ा मारा था। इसके बाद आरोपी फावड़ा छोड़कर के चला गया। जिसकी सूचना उसने दिनेश को फोन लगाकर के दी थी।

11. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह जहां खड़ा था वहां से घटनास्थल की दूरी लगभग 20–25 फीट अंदाज से होगी। वह मैन चौराहे की बीच रोड़ पर ही खड़ा था और उसे घटनास्थल अच्छे से दिख रहा था। साक्षी ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ कि वह घटना के समय घ ार पर रहा है और बाद में मौके पर पहुंचा हूँ। इस बात से इन्कार किया है कि जब उसने घटना की तरफ देखा तब मृतिका जमीन पर नीचे पड़ी हुई थी। स्वतः कहा कि उसने आरोपी के द्वारा मृतिका को मारते हुये देखा था।

12. प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह बजरंगपुरा में रहता है आरोपी का जो मकान बन रहा है वहां और उसके मकान के बीच में एक गली और एक घर है। अतः यह भी स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना स्थल के पास ही रहता है और साक्षी का मकान और घटना स्थल के बीच में मात्र एक गली और एक घर है। अत घटना के समय साक्षी की घटना स्थल के पास उपस्थिति अस्वभाविक नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी दिनेश साहू अ.सा.1 जिसे साक्षी अनुज साहू के द्वारा फोन पर सूचना दी गई है, ने भी अपने न्यायालयीन कथन में उक्त तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी उसका जीजा लगता है। मृतिका द्रोपदी उसकी बहन लगती थी। घटना मार्च 2020 की है उसे अनुज साहू का फोन आया था, उसे अनुज ने बताया था कि मामा आप न्यू बजरंगपुरा आ जाओ जहां पर चाचा दिनेश साहू ने चाची को मार दिया है। फिर उसने अपने बड़े भाई दीपेश साहू को फोन लगाया था और दीपेश को बताया था कि यदि जीजा जी ने बहन को मार दिया है तो बहन का ईलाज करवा देना। जब दीपेश और आनंद घटनास्थल पर पहुंचे तो द्रोपदी उसकी बहन मर चुकी थी

इसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि उसकी बहन शांत हो चुकी थी और पुलिस वाले आ चुके थे।

14. साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि फिर उसने घटना की रिपोर्ट बाणगंगा थाने पर लिखवाई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने सफीनाफार्म जारी किया था जो प्रदर्श पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने लाश का पंचायतनामा बनाया था, लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले भी मृतिका और आरोपी का झगड़ा हुआ था, आरोपी मकान बेच रहा था तो उसकी बहन बोलने के लिये गयी थी कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मकान नहीं बेचों।

15. इस साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह भी कहा है कि पुलिस ने उसके सामने प्लास्टिक की डिब्बी में घटनास्थल पर पड़ा खून रूई से पोछकर के जप्त किया था, सादी मिट्टी भी पुलिस ने उसके सामने जप्त की थी। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने काम करने वाले मिस्त्री बैजनाथ एवं पड़ोसी सीताराम से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि मृतिका द्रोपदी को उसके पति दिनेश ने प्लाट बेचने व बनवाने के विवाद पर सिर पर फाबड़ा मारकर मार डाला है। उसने उसकी बहन को देखा था, उसके सिर से खून बह रहा था।

16. इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा घटना की सूचना अनुज से फोन पर प्राप्त होने के उपरांत इस साक्षी ने अपने भाई को बताया है और दीपेश और आनंद पहले घटना स्थल पर पहुचे है और उसके बाद यह साक्षी भी घटना स्थल पर पहुंचा है और इस साक्षी ने अपनी बहन को घटना स्थल पर मृत अवस्था में पडी हुई देखा है, उसके सिर से खून बहते हुये देखा है और इसके द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 थाने पर लेखबद्ध कराई है और इस साक्षी के समक्ष पुलिस के द्वारा द्रोपदी की लाश का पंचनामा पी 3 बनाया गया है। इस साक्षी के कथन से यह भी स्पष्ट है कि मकान बैचने की बात को लेकर आरोपी द्वारा मृतिका को फावडे से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित की गई है। साक्षी को मोके पर ही काम करने वाले मिस्त्री बैजनाथ एवं पड़ोसी

सीताराम ने आरोपी के द्वारा द्रोपदी बाई को फाबड़े से चोट पहुंचा कर हत्या करने वाली बात भी बताई गई है।

17. प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि अनुज साहू का फोन उसे सुबह 10.30—11.00 बजे के करीब आया था उस समय वह टाईल्स की दुकान पर काम कर रहा था, जिस टाईल्स की दुकान पर काम करता है, वह अरबिन्दो हॉस्पिटल के सामने स्थित है। अरबिन्दो से न्यू बजरंगपुरा की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। दीपेश साहू उसका बड़ा भाई है और उसके साथ ही निवास करता है। जब उसे घटना की सूचना प्राप्त हुई थी तब उसका बड़ा भाई दीपेश साहू फैक्ट्री पर काम करने गया था। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन उसका भाई काम कर रहा था वह फैक्ट्री आस पास ही थी। स्वतः कहा कि उसने उसको इसलिये फोन लगाया था कि वह आप पास में हो इसलिये जल्दी पहुंच जायेगा। यह स्वीकार किया है कि कि उसके घटनास्थल पर पहुंचने के पूर्व दीपेश व आनंद घटनास्थल पर पहुंच गये थे। इस प्रकार साक्षी ने अपने भाई को फोन लगाये जाने का कारण भी स्पष्ट किया है।

18. इस साक्षी के द्वारा घटना के संबंध में पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई है, इस बात की पुष्टि साक्षी योगेश कुमार अ.सा.17 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में करते हुए दिनेश साहू की रिपोर्ट पर से प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध की जाना और उक्त रिपोर्ट के ए से ए भाग पर फरियादी दिनेश साहू के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किये है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है जिससे कि इस साक्षी के द्वारा फरियादी दिनेश साहू के बताये अनुसार रिपोर्ट लिखाये जाने के तथ्य का खण्डन हो सके।

19. प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी साक्षी दिनेश को अनुज के द्वारा फोन पर सूचना देना और सूचना प्राप्त होने पर मोके पर जाकर अपनी बहन द्रोपदी को उसके घर के सामने पडी हुई देखा जाना और उसके सिर में से चोट होकर खून निकल जाने का उल्लेख है। मौके पर उपस्थित बैजनाथ एवं सीताराम से पूछने पर उनके द्वारा यह बताये जाने का उल्लेख भी है कि द्रोपदी को उसके पति ने प्लाट बैचने व बनवाने के विवाद

पर से सिर पर फावडा मारकर मार डाला है। इस प्रकार फरियादी दिनेश साहू के कथन की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से भी होती है।

20. अभियोजन साक्षी सुधारानी अ.सा. 04, आनंद साहू अ.सा. 05, लोकेश साहू अ.सा. 14 ने अपने न्यायालयीन कथन में घटना की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचना और द्रोपदी को जमीन पर पड़ी हुई अवस्था में देखना तथा उसके सिर पर चोट होकर खून निकलते हुये देखना और मौके पर ही द्रोपदी की मृत्यु हो जाने बाबत कथन किया है। साक्षी सुधारानी अ.सा. 04 ने अपने कथन में यह भी कहा है कि जिस फाबड़े से द्रोपदी को मारा था वह फाबड़ा भी वहीं पड़ा था और उसका जमाई वहां से भाग गया था और पुलिस मौके से फाबड़ा जप्त करके ले गई थी। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्रपी–05 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये है।

21. इस साक्षी ने पुलिस के द्वारा लड़की की नाक की लोंग और कान के बाले तथा दो अंगूठिया और पायल सुपुर्दगी पर दिया जाना तथा सुपुर्दगी पंचनामा प्रपी–06 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किये है तथा लड़की की लाश को पुलिस द्वारा सुपुर्द किये जाने एवं सुपुर्दगी रसीद प्रपी–07 के ए से ए भाग पर भी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये है। साक्षी आनंद साहू ने भी उक्त आभूषण पुलिस के द्वार सुधारानी को सुपुर्दगी नामा प्रपी–06 के अनुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने की पुष्टी की है।

22. अभियोजन साक्षी एस.एल.भंवर अ.सा.20 ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 21.03.2020 को थाने के मर्ग क्रमांक 42/20 की जांच हेतु गली नंबर 1 बजरंगपुरा जाना और साक्षीगण को प्रदर्श पी 2 का सफीना फार्म जारी करने के उपरांत मृतिका द्रोपदी पति दिनेश साहू के शव का पंचायतनामा प्रदर्श पी 3 बनाये जाने बाबत कथन किया है। प्रदर्श पी 3 के पंचनामा के अनुसार पंचो की राय में द्रोपदी की मृत्यु फावडे से मारने से आई चोटो के कारण होने बाबत राय दी गई है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम कराया जाना उचित बताया गया है। शव का पंचायतनामा प्रदर्श पी

3 बनाये जाने की पुष्टि साक्षी दिनेश साहू अ.सा.1 ने अपने कथनों में भी की है।

23. अभियोजन साक्षी चिकित्सक साक्षी डॉ0 विशाल सुरवाडे अ.सा.16 जिसके द्वारा मृतिका द्रोपदी का शव परीक्षण किया गया है, ने अपने न्यायालयीन कथनो में बताया है कि वह दिनांक 21.03.2020 को श्री अरबिंदों मेडिकल कॉलेज एवं पी.जी. इस्टीट्यूट इंदौर में फांरेसिंक मेडिसीन विभाग में एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस आरक्षक रूचि नं. 199 द्वारा पुलिस थाना बाणगंगा के मर्ग क्रमांक 42/2020 धारा 174 जा.फौ. में मृतिका द्रोपदी पति दिनेश साहू आयु 32 वर्ष निवासी न्यू बजरंगपुरा गली नं. 1 इंदौर के शव परीक्षण का आवेदन प्राप्त हुआ था जो प्रदर्श पी. 21 है।

24. इस साक्षी ने बताया है कि मृतिका द्रोपदी का शव सफेद चादर में लिपटा हुआ था। मृतिका नीली साडी, हरा पेटीकोट एवं खून से सना हुआ ब्लाउज मृतिका ने पहना था। मृतिका की आंखे बंद थी, उसके सिर पर से खून निकल रहा था और सिर में दो बडे–बडे घाव थे। मृतिका को निम्नलिखित चोटें थी जिसका विवरण इस प्रकार है।

चोट क. 1– एक कटा फटा घाव जिसका साईज 4 गुणित 3.5 सेमी स्कलकेविटी डिप (घाव जो खोपडी के अंदर तक धंसा हुआ था) जिसके साथ ही मस्तिष्क का सफेद भाग अंदर का दिखाई दे रहा था। इस घावों की स्थिति बांयी ऑख की भौह से 10 से.मी. उपर से शुरू होकर पीछे की ओर 4 से.मी. तक था। यह घाव सिर के बांयी साइड में स्थित थे।

चोट क. 2– एक कटा फटा घाव जिसका साईज 7.5 गुणित 4 सेमी स्कलकेविटी डिप (घाव जो खोपडी के अंदर तक धंसा हुआ था) जिसके साथ ही मस्तिष्क का सफेद भाग अंदर का दिखाई दे रहा था। इस घावों की स्थिति चोट क. 1 के पिछले भाग से 2 से.मी. पीछे से शुरू होकर 7.5 से.मी. तक था। यह घाव सिर के बांयी साइड में स्थित थे।

चोट क. 3– 3 सेमी गुणित 2 सेमी लाल रंग की सूजन जो सिर के पिछले भाग में मौजूद थी। यह घाव ऑक्सीपिटल एरिया के पास स्थित था।

चोट क. 4– चोट क. 1 व 2 के एरिया से हड्डियों के टुकडे आसानी से

निकाले जा सकते थे।

25. इस साक्षी ने मृतक की खोपडी खोलने के बाद मस्तिष्क की स्थिति निम्नानुसार बतायी है :– मस्तिष्क के उपर का आवरण (ड्यूरा) टूटा हुआ था और उसमें में मस्तिष्क का सफेद रंग का भाग बाहर निकल रहा था। मस्तिष्क को काटकर देखने के बाद अंदर की तरफ खून का रिसाव और खून के थक्के मिले थे। मस्तिष्क को निकालने के बाद मस्तिष्क की नीचे की हड्डी टूटी हुई पायी गई (जिसके उपर मस्तिष्क विराजित रहता है)। उक्त जो हड्डी टूटी हुई थी उसमें 5 सेमी की दरार थी।

26. इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने बिसरा की दो बोतल, नमक घोल, सील सैम्पल, क्रांस मैचिंग और ब्लड ग्रपिंग के लिये खून का नमूना, बालों का नमूना, खून और बालों के लिये अलग से सील सैम्पल, मृतिका के कपडे और उसके लिये अलग से सील सैम्पल था। पुलिस को दिये थे।

27. इस साक्षी के अभिमत अनुसार मृतिका की मृत्यु उसके शरीर पर पाई गई चोटों से अत्यधिक खून स्त्राव और शॉक (सदमा) लगने से हुई थी, मृत्यु आपराधिक मानववध प्रकृति की थी और मृत्यु की अवधि परीक्षण से 12 घण्टे के अंदर की थी। इस साक्षी ने अपने द्वारा दी गई मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी. 22 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये है।

28. इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया है कि पुलिस से क्योरी लेटर के साथ सील किया हुआ हथियार दिनांक 04.05.2020 को उसे प्राप्त हुआ था। सीलबंद प्राप्त हथियार को खोलने पर एक फाबडा था जिसका आकार लकडी के हत्थे की लम्बाई 74 से.मी. एवं लकडी का गोलाई का व्यास 12.5 सेमी, लोहे का फल 23 सेमी चौडाई एवं लम्बाई 24 सेमी एवं पूरे हथियार का वजन 1 किलो 990 ग्राम था, लोहे के फल पर टाटा लिखा हुआ था और लोहे के फल को लकडी में दो कीलों के साथ फिक्स किया गया था, लोहे के फल पर दो या तीन बाल चिपके हुये थे और बाल टर्न लिये हुये थे और लोहे के फल पर खून के थक्के भी जमा थे। उक्त हथियार का परीक्षण करने के उपरांत उसने लोहे के फल पर हस्ताक्षर एवं दिनांक 08.05.2020 उल्लेखित की थी। क्योरी में पूछे गये प्रश्न के अनुसार उसके द्वारा यह अभिमत दिया गया

कि मृतिका को पाई गई चोटें उक्त हथियार से आना संभव है उसकी क्योरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 23 है जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

29. इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में मृतिका की मृत्यु आपराधिक मानव वध की प्रकृति के होने के तथ्य को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि मृतिका को पायी गई दोनो चोटे फावडे से नहीं आ सकती है। इस बात से भी इंकार किया है कि कोई व्यक्ति उपरी मंजिल से सिर के बल गिरे तो मृतिका की चोट क्रमांक 1 व 2 आना संभव है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में यह स्पष्ट किया है कि मृतिका की चोट क्रमांक 1 व 2 फावडे के धार तरफ से पहुचाई जाना प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है जिससे कि इस साक्षी के द्वारा की गई कार्यवाही एवं दिये गये कथन को अविश्वसनीय माना जा सके।

30. इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी मृतिका की मृत्यु उसके सिर पर पायी गयी चोटो के परिणाम स्वरूप होना और उक्त चोटे फावडे से आना संभव बतायी है। अतः डाक्टर साक्षी विशाल सुरवाडे के कथन से भी साक्षी देव अ.सा.2 एवं अनुज अ.सा.3 के द्वारा दिये गये न्यायालयीन कथन की पुष्टि होती है।

31. साक्षी एस.एल.भंवर अ.सा.20 ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 21.03.2020 को ही घटना स्थल से साक्षीगण के समक्ष पडे हुए खून को रूई से पोछकर प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखकर एवं सादा मिट्टी छोटी डिब्बी में रखकर जब्त की जाना तथा घटना स्थल पर पडे हुए फावडे के पिछले हिस्से पर खून लगे होकर बाल चिपके होना और उक्त फावडे को जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी 5 बनाये जाने बाबत कथन दिया है और आर्टिकल ए–4 का फावडा वही फावडा बताया गया है जो कि उसके द्वारा घ टना स्थल से जब्त किया गया है। साक्षी दिनेश साहू अ.सा.1 ने अपने कथनों में घटना स्थल से रूई से खून पोछकर प्लास्टिक की छोटी डिब्बी में रखकर एवं सादा मिट्टी छोटी डिब्बी में रखकर जब्त किये जाने एवं साक्षी सुधारानी अ.सा.4 के द्वारा अपने कथनों में घटना स्थल से फावडा जब्त किये जाने की पुष्टि की है जिसका कोई खंडन प्रतिपरीक्षण में भी नहीं हुआ है।

32. इस साक्षी के द्वारा अपने कथन में दिनांक 21.03.2020 को मर्चूरी रूम अरबिन्दो अस्पताल इंदौर पर साक्षीगण के समक्ष मृतिका द्रोपदी की एक जोड चांदी की पट्टिया, चांदी की बिछिया, हाथो की उंगली में पहनी हुई अंगुठिया चांदी जैसी, एक अंगुठी तांबे की, कान में पहने के लटकन सोने की धातु की, कान में पहनने की बाली सोने जैसी धातु की, तथा नाक में पहनने की सोने की धातु जैसा कांटा एव कान के लटकन से टूटा हुआ झुमका सोने की धातु एवं सफेद रंग व पीले रंग की मोतियों की माला मृतिका की मॉ सुधा रानी को सुपुर्दगी पर देकर सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी 6 बनाया जाना एवं मृतिका का शव सुधारानी को सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी.7 बनाया जाना प्रमाणित किया है जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षी सुधारानी अ.सा.4 ने अपने कथनों में की है। उक्त साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में कोई खण्डन नहीं हुआ है।

33. अभियोजन साक्षी पद्मसिह मकवाना अ.सा.19 ने अपने न्यायालयीन कथन में दिनांक 21.03.2020 को थाना बाणगंगा पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होना बताया है और उक्त दिनांक को महिला आरक्षक रूचि के द्वारा थाने के मर्ग क्रमांक 42/2020 अंतर्गत धारा 174 दण्ड प्रकिया संहिता में मृतिका द्रोपदी के अरविन्दो अस्पताल की सील से सीलबंद दो बोतल विसरा, शीशी नमक घोल, एक सील नमूना, ब्लड सेम्पल अरविन्दो की सील से सीलबंद तथा हेयर सेम्पल, एक सील नमूना अरविन्दो अस्पताल से सीलबंद कपडे उसके समक्ष पेश करने पर उसके द्वारा प्रदर्श पी 18 के जब्ती पंचनामा के अनुसार जब्त किया जाना प्रमाणित किया है। इस तथ्य की पुष्टि साक्षी आरक्षक पंकज कुमार तिवारी अ.सा.15 ने भी अपने न्यायालयीन कथन में की है और जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी 18 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना भी प्रमाणित किये है।

34. साक्षी पंकज कुमार तिवारी अ.सा.15 ने अपने कथन में यह भी कहा है कि उसने दिनांक .3.06.2020 को थाना बाणगंगा के मर्ग क्रमांक 42/2020 के जब्त शुदा प्रदर्शो के परीक्षण के संबंध में संयुक्त निदेशक क्षैत्रिय न्यायिक प्रयोगयशाला को प्रेषित किया था जो प्रदर्श पी 19 है। इस साक्षी ने

जब्तशुदा प्रदर्शो को उक्त प्रयोगशाला में जमा किये जाने की रसीद प्रदर्श पी 20 भी प्रमाणित की है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के कथन अनुसार अरबिन्दो अस्पताल से प्राप्त आर्टिकल विधिवत जब्त किये गये है और उन्हे परीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक क्षैत्रिय न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजा गया है।

35. अभियोजन साक्षी रविन्द्र सिंह भदौरिया अ.सा.18 के द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान 21.03.2020 को घटना स्थल पर जाकर दिनेश पिता तुलाराम साहू की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 बनाया जाना प्रमाणित किया है। नक्शा मौका पी 4 के अनुसार घटना स्थल न्यू बजरंगपुरा में स्थित आरोपी के नवनिर्मित मकान के बाहर आम रास्ते का बताया गया है जहॉ पर मृतिका द्रोपदी के शव के पडे होने का उल्लेख भी किया गया है। साक्षी देव साहू अ.सा.2 एवं अनुज कुमार अ.सा.3 के द्वारा भी अपने कथनों में घटना स्थल आरोपी के मकान के बाहर का ही बताया गया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है।

36. साक्षी रविन्द्र सिंह भदौरिया अ.सा.18 ने अपने न्यायालयीन कथन में आरोपी दिनेश के द्वारा पेश करने पर दिनांक 22.03.2020 को आर्टिकल ए–1 की एक पेंट सुरमाई कलर का खून आलूदा एवं आर्टिकल ए–2 की एक शर्ट ब्लू तथा ग्रीन कलर की खून लगी हुई जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी 10 बनाया जाना और उस पर आर्टिकल ए–3 की जब्ती चीट तैयार कर संलग्न किया जाना प्रमाणित किया है एवं उसी दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर उससे प्रदर्श पी 11 के जब्ती पंचनामा अनुसार प्रदर्श पी 24 का विक्रय इकरार नामा जब्त किया जाना प्रमाणित किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है जिससे विवेचक द्वारा की गई उक्त कार्यवाही का खण्डन हो सके।

37. साक्षी रविन्द्र भदौरिया अ.सा.18 ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कहा है कि दिनांक 03.06.2020 को उसने अपराध में जब्तशुदा प्रदर्शो के परीक्षण के संबंध में संयुक्त निदेशक को प्रदर्श पी 25 एवं 26 का पत्र प्रेषित किया था। इस साक्षी ने उक्त प्रदर्शो को जमा करने की रसीद प्रदर्श पी 20 व 27 भी प्रमाणित की है। यह भी कहा है कि परीक्षण प्रतिवेदन भी प्रकरण

में संलग्न है जो कि प्रदर्श पी 28 लगायत पी 30 है। प्रकरण में संलगन प्रदर्श पी 28 की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गये खून आलूदा रूई, सादा रूई फावडा, हेयर,साडी, पेटीकोट,ब्लाउज,ब्रा, अंडरवियर, हेयर, रक्त पेंट एवं शर्ट में से सादा रूई का छोडकर सभी वस्तुओं पर रक्त मौजूद होना बताया है। यद्यपि रक्त समुह वर्गीकरण के संबंध में परीक्षण परिणाम अनिश्चित बताये गये है। प्रदर्श पी 29 की रिपोर्ट के अनुसार भेजे गये बाल मानव के बाल होना बताये गये है। प्रदर्श पी 30 की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गये विसराओं में कोई रासायनिक विष मौजूद होना नहीं बताया गया है।

38. प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी अनूज साहू अ.सा.3 के न्यायालयीन कथन एवं उसके पुलिस के द्वारा लेखबद्ध किये गये पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में यह विरोधाभास प्रकट हुआ है कि साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में घटना के समय उसके घर पर होने की बात लिखी है जबकि साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में घटना के समय चौराहे पर खडा होने वाली बात बताई है। किन्तु यह विरोधाभास प्रकरण की परिस्थितियों में इसलिये सारभूत प्रकृति का नहीं है क्योकि साक्षी के कथन अनुसार साक्षी का घर घटना स्थल से एक गली व घर छोडकर ही है और वही पर चौराहा है।

39. इस साक्षी के पुलिस कथन प्रदर्श डी1 में यह भी उल्लेखित है कि दिनेश द्रोपदी बाई से मकान बनवाने और बैचने की बात को लेकर विवाद कर रहा था लेकिन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि मिस्त्री से महिला ने घर में जाकर चिल्ला चोट कर रही थी या बाहर कर रही थी वह नहीं देख पाया था और कहा कि झगडा ज्यादा बढ गया था तब उसका ध्यान उधर गया था और उसने ऐसी कोई बहस नहीं सुनी की मृतिका कह रही हो कि मकान क्यों बनवा रहे हो और उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में मकान बैचने के संबंध में व बनवाने के संबंध में बहस होने वाली बात लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। न्यायालय के मत में यह विरोधाभास भी इसलिये सारभूत प्रकृति का नहीं है क्योकि साक्षी देव साहू अ.सा.2 ने भी अपने न्यायालयीन कथन में आवेदिका द्वारा मृतिका द्रोपदी बाई को सिर में फावडे से चोट पहुचाये जाने बाबत स्पष्ट कथन दिया है। जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हुई है। साक्षी अनूज साहू के कथन अनुसार यह साक्षी घटना के

समय चौराहे पर खडा था और इसका ध्यान झगडा ज्यादा हो जाने पर उधार गया है। पहले क्या बहस हुई इस साक्षी के द्वारा नहीं सुना गया और पुलिस कथन प्रदर्श डी 1 में इस सम्बन्ध में उल्लेखित है तो मात्र इस आधार पर साक्षी के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

40. साक्षी दिनेश साहू अ.सा.1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाते समय यह बता दिया था कि उसके द्वारा उसके बड़े भाई दीपेश साहू को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी गई थी। उक्त बात प्रदर्श पी. 1 में उल्लेखित नहीं हो तो आज वह कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को एफ.आई.आर. करवाते समय यह बता दिया कि उसकी बहन एवं आरोपी के मध्य मकान को बेचने के लिये झगड़ा चल रहा था। उक्त बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 में नहीं लिखबाई हो तो वह कारण नहीं बता सकता। न्यायालय के मत में प्रदर्श पी 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख न होने मात्र से इस साक्षी के द्वारा घटना के संबधं में दिया गया कथन अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है क्योकि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे सभी तथ्यों का समावेष होना आवश्यक नहीं है और यह साक्षी मौके पर पहुचा है और उसने अपनी बहन को मरी हुई अवस्था में और उसके सिर से खून निकलते हुए देखा है और इस साक्षी के समक्ष पुलिस के समक्ष लाश पंचायतनामा पी 3 बनाया गया है जिससे भी इस साक्षी के मौके पर पहुचने की पुष्टि होती है।

41. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार घटना के समय कारीगर बैजनाथ साहू अ.सा.7 एवं कैलाश अ.सा.8 एवं सीताराम अ.सा.9 को मौके पर उपस्थित होना बताया है किन्तु साक्षी कैलाश साहू अ.सा.8 एवं सीताराम अ.सा. 9 ने घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। साक्षी बैजनाथ ने भी अपने कथन में अभियोजन के प्रकरण के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में कोई साक्ष्य नहीं दी है किन्तु इस साक्षी ने यह कहा है कि वह आरोपी दिनेश के यहॉ दो साल पहले मकान का काम कर रहा था और वह पाना उठाने लगा तब दिनेश और उसकी पत्नी की लडाई हो गई थी और वह घर चला गया था। लौटकर आया तब वहॉ पर दिनेश की पत्नी की लाश पडी थी उसे

किसने मारा उसे नहीं पता। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी इसके अलावा उसके सामने कुछ नहीं हुआ। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किया गया है और इस साक्षी ने अपने समक्ष आरोपी के द्वारा मृतिका की मारपीट होते देखने से इंकार किया है। किन्तु इस साक्षी के कथन से इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को आरोपी और उसकी पत्नी की लडाई हुई थी और यह साक्षी वापिस घर से लौटा तो उसके द्वारा दिनेश की पत्नी की लाश मौके पर पडी हुई देखा है। आरोपी दिनेश का ऐसा बचाव नहीं है कि किसी अन्य के द्वारा उसकी पत्नी की हत्या की गई है। पत्नी की लाश पडी हुई थी उस समय अन्य साक्षीगण के कथन अनुसार आरोपी मौके से भाग गया था। आरोपी ने मौके से भागने का कोई कारण भी नहीं बताया है। अतः इस साक्षी के कथन से भी अभियोजन के इस प्रकरण को बल मिलता है कि आरोपी के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा द्रोपदी बाई की हत्या नहीं की गई है।

42. अभियोजन साक्षी कमल साहू अ.सा.6, सीता राम साहू अ.सा.9, सविता साहू अ.सा.10, संतोष साहू अ.सा.11, राजेश साहू अ.सा12, गीता साहू अ.सा.13 के द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और यह साक्षीगण पक्षविरोधी घोषित किय गये है। किन्तु उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा घटना का समर्थन न किये जाने एव पक्ष विरोधी हो जाने मात्र से प्रकरण में आई साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

43. आरोपी की ओर से अपने आरोपी परीक्षण में जो यह बचाव लिया गया है कि उसकी पत्नी मायके वालों के साथ निवास करती थी और उसके घर वालों को पसंद नहीं करती थी, उसे उसके मकान से निकाल कर मकान मायके वालों को देना चाहती थी। जब वह मकान पर पहुंचा तो उसकी पत्नी वहां आ गई और उससे गाली गलौच करने लगी तथा उसे फाबड़ा उठाकर मारने लगी, उसने बचाव किया तो वह फाबड़े पर गिर गई तथा धक्का मुक्की में उसे चोट लगी। उसने कोई अपराध नहीं किया है उसने उसकी पत्नी को नहीं मारा है, यह बचाव इसलिये विश्वसनीय नहीं है क्योकि यदि ऐसा होता तो आरोपी मौके से भागता ही क्यो और मृतिका को तुरंत अस्पताल लेकर जाता और उसका इलाज कराता। अपितू लिये गये बचाव से इसी बात

को बल मिलता है कि घटना के समय मकान के विवाद को लेकर आपस में झगडा हुआ और आरोपी के द्वारा मृतिका की फावडे से चोट पहुंचाकर हत्या कारित की गई।

44. इस प्रकार में अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं अभियुक्त की ओर से लिये गये बचाव का मूल्यांकन करने के उपरांत प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त द्वारा ही दिनांक 21.03.2020 या उसके निकट, न्यू बजरंगपुरा 01 नम्बर गली, इंदौर में अपनी पत्नी मृतिका द्रोपदी की हत्या कारित करने के आशय से फाबडे से मारपीट कर प्राणघातक चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की गई है।

45. इस प्रकार अतः अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 302 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्त दिनेश को धारा–302 भा.दं.सं. के अपराध के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। सिद्धदोष अभियुक्त के अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे परीवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता है, अतः उसे दंड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(केशवमणि सिंहल)
अपर सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (विद्युत अधि0)क्र0–7
इंदौर म.प्र.

<u>पुनश्च</u>:–

46. दंड के प्रश्न पर अभियुक्त, उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

47. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रथम अपराधी है, उसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है, दंड पर उदारतापूर्वक विचार किया जावें।

48. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कहना है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई है एवं मिथ्या सूचना लेख कराई, जो कि गंभीर अपराध है। अतः अभियुक्त को मृत्यु दंड से दंडित किया जावें।

49. उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के द्वारा कारित हत्या का अपराध प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार विरल से विरलतम मामला नहीं है। अतः मृत्युदंड से दंडित किया जाना न्याय संगत नहीं पाया जाता, परन्तु भा.दं.वि. की धारा–302 के अंतर्गत मृत्यु या आजीवन कारावास में से कोई एक दंड दिया जाना अनिवार्य है। अतः अभियुक्त को सिद्ध दोष अपराध धारा–302 भा.दं.सं. के अधीन आजीवन कारावास और ₹2000/– के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि का संदाय न होने पर सिद्धदोष अभियुक्त को क्रमशः 01 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावें।

50. अभियुक्त दिनांक 22.03.2020 से आज दिनांक 11.04.2023 तक कुल **03 वर्ष 20 दिवस** तक निरोध में है। उक्त अवधि के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र तैयार कर सजा वारंट के साथ संलग्न किया जावें। यद्यपि आजीवन कारावास का तात्पर्य शेष जीवन के कारावास से है इस कारण सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा न्यायिक हिरासत में व्यतीत अवधि का समायोजन तो नहीं होगा, लेकिन यदि समूचित सरकार भविष्य में सिद्धदोष अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आजीवन कारावास के दंड के लघुकरण आदि पर विचार करती है और अभिरक्षा की एक निश्चित अवधि के आंकलन की अपेक्षा की जाती है, तब यह प्रमाण पत्र उपयोगी हो सकता है।

51. प्रकरण में जप्तशुदा फावड़ा, बिसरा कपड़े आदि अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर नष्ट की जावें। अपील होने की स्थिति में अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाए।

52. अभियुक्त का सजा वारंट तैयार किया जाए और अधिरोपित दंड को भुगतने के लिए हेतु जेल सुपुर्द किया जावें।

53. अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावें।

54. इस मामले में अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से एवं अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का अपराध प्रमाणित हुआ है, उसके कारण उसके विधिक उत्तराधिकारी देव साहू निश्चित रूप से क्षतिकारित हुई है। अतः मृतक के विधिक उत्तराधिकारी राज्य पीडित प्रतिकर योजना के तहत प्रतिकर प्राप्त करने हेतु नियमानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर नियमानुसार प्रतिकर प्राप्त कर सकते है। तदानुसार निर्णय की एक प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर को प्रेषित की जावे।

55. दं.प्र.सं. की धारा–365 के तहत निर्णय की प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित की जावें।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया
गया।

(केशवमणि सिंहल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय (विद्युत अधि0)क्र0–7
इंदौर (म.प्र.)

(केशवमणि सिंहल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय (विद्युत अधि0)क्र0–7
इंदौर (म.प्र.)

KESHAV MANI SINGHAL
Digitally signed by KESHAV MANI SINGHAL
Date: 2023.04.11 15:19:56 +0530